सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश
1250, तुलसीनगर, भोपाल- 462003
फोन-0755-2555700 फैक्स-2552665
ईमेल- dpswbpl@nic.in

क्रमांक/2018/54/375 भोपाल दिनांक 03/10/2018

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
2. समस्त आयुक्त नगर निगम
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
4. संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
5. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिक/नगर पंचायत
मध्यप्रदेश।

विषय :- पेंशन पोर्टल से पेंशन हितग्राहियों को हटाने से पूर्व भौतिक सत्यापन करने के संबंध में।

संदर्भ :- उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण जिला रायसेन का पत्र क्र. 1174 दिनांक 22.09.2018 एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद बेरली जिला रायसेन, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक 1680/न.प./18 दिनांक 20.09.2018

....

म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा वृद्धजनों, कल्याणी, परित्यक्त एवं दिव्यांगजनों के लिये विभिन्न पेंशन योजनाएं पेंशन पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। उक्त योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता शर्ते निर्धारित की गई है व पात्रता शर्तों के सत्यापन हेतु दस्तावेज भी निर्धारित किय गये है। इन दस्तावेजों व भौतिक सत्यापन के आधार पर पेंशन पोर्टल पर हितग्राही को पेंशन स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की कार्यवाही पदाभिहित अधिकारी द्वारा की जाती है।

2. जिलों व स्थानीय निकायों से प्राप्त पत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि जनपद पंचायत व नगरीय निकायों मे पदाभिहित अधिकारी के द्वारा पेंशन हितग्राहियों को बिना भौतिक सत्यापन व प्रमाणिक दस्तावेजों की जांच किये पेंशन पोर्टल पर डुप्लीकेट/ फेक / घोस्ट/ मृत इत्यादि कारण दिया जाकर हटाया जा रहा है, जो कि अनुचित है। जिलों व स्थानीय निकायों द्वारा बिना भौतिक सत्यापन व जांच के हटाये गये प्रकरणों को पुन: पेंशन पोर्टल पर जोडने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

3. उपरोक्त संबंध में सभी जिले अवगत हो कि पोर्टल पर किसी पेंशन हितग्राही को डुप्लीकेट / फेक / घोस्ट / मृत रिपोर्ट कर पेंशन बंद करने से पूर्व हितग्राही का भौतिक सत्यापन

कराया जाये, भौतिक सत्यापन में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ही हितग्राही की पेंशन बंद करने की अनुशंसा की जाये, पेंशन बंद करने से पूर्व हितग्राही को अपनी पात्रता को प्रमाणित करने का एक मौका दिया जाये, हितग्राही द्वारा पात्रता को प्रमाणित नहीं करने की स्थिति में ही पदाभिहित अधिकारी द्वार पेंशन बंद करने संबंधी आदेश जारी किया जाये, पदाभिहित अधिकारी के द्वारा जारी आदेश के आधार पर ही पेंशन पोर्टल पर किसी हितग्राही की पेंशन बंद की जाये। उक्त आदेश की प्रति को नस्ती में संधारित किया जाये।

4. पेंशन पोर्टल पर पेंशन स्वीकृति/अस्वीकृति अथवा बंद करने हेतु विधिवत प्रक्रिया का पालन किया जाना होता है, जिसमें त्रुटि होने की संभवना नहीं होनी चाहिए, इसके उपरांत भी त्रुटिपूर्ण फेक/ घोस्ट/ मृत किया जाना कार्य के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है।

अत: इस प्रकार के प्रकरण में सर्वप्रथम संबंधित कर्मचारी/अधिकारी से इसका कारण पूछा जाए कि हितग्राही को बिना भौतिक सत्यापन व जांच के पेंशन पोर्टल पर फेक / घोस्ट/ मृत रिपोर्ट क्यों किया गया? संतोषप्रद जवाब न मिलने पर ऐसे अधिकारी/शासकीय सेवक के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए एवं कार्यवाही पश्चात ही इस कार्यालय को हितग्राही को पुन: पेंशन पोर्टल पर पेंशन योजना की स्वीकृति हेतु पत्र जिला कार्यालय के माध्यम से पत्र प्रेषित किया जाये, तदुपरांत ही उपरोक्त संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(कृष्ण गोपाल तिवारी)
संचालक,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण संचालनालय

पृ.क्र./ 2018/54/376 भोपाल, दिनांक 3/10/2018

प्रतिलिपी:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्यांय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यशप्रदेश।
3. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एनआईसी, मध्यप्रदेश।
3. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, मध्यप्रदेश।

संचालक,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण संचालनालय